

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

मुकाम खाजूवाला

सुनिल वगै०

बनाम

राजेन्द्र वगै०

किस्म मुकदमा :-प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 02 / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
12-9-24	<p>पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत भूमि नानूसिंह को आवंटन थी और नानूसिंह ने जरिये मुख्त्यारआम रमेशकुमार को विक्रय कर रखी थी। मुख्त्यारआम उप-पंजीयक लूनकरनसर से पंजीबद्ध था। उक्त वादगत भूमि रमेशकुमार से वादी ओमप्रकाश ने सन् 2006 में खरीद कर ली। ओमप्रकाश ने रमेशकुमार से बैयनामा अपने पुत्र सुनिलकुमार के नाम 31 जनवरी 2013 को करवाया और सतवीर ने नानूसिंह से पीछे की दिनांक में बैयनामा दिनांक 12.9.92 को करवाया एवं इं०सं० 60/15.11.12 पटवारी से दर्ज करवा लिया। उक्त बैयनामा को माननीय न्यायालय ए.डी.जे. बीकानेर में चैलेंज किया जो खारिज कर दी गई जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील की है। वादगत भूमि पर मौके पर कब्जा/काश्त वादीगण का एवं मकान भी बना हुआ है जो हल्का पटवारी ने भी अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है एवं मौका-रिकॉर्ड की यथास्थिति की आदेश है। इसलिए प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है एवं उक्त स्थगन आदेश निरस्त होने पर अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए मूलवाद के निष्पारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सुनिल इकरारनामें में नहीं है और जिस मुख्त्यारआम के आधार पर सुनिल के पक्ष में बैयनामा वह मुख्त्यारआम निरस्त था और वादीगण का दावा माननीय न्यायालय एडीजे ने खारिज कर दिया है और मेरा बैयनामा माननीय न्यायालय ए.डी.जे. ने सही माना है। वादगत भूमि पर अप्रार्थी सं० 1 के वारिसों का कब्जा है। बैंक ऋण दिया था एवं पीछे की तारीख में</p>	

बैयनामा नहीं हुआ है। वादीगण द्वारा जिसपर पटवारी रिपोर्ट का हवाला देकर कब्जा काश्त होने का दावा किया है उस रिपोर्ट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं है। माननीय ए.डी.जे. कोर्ट में वाद वादीगण खारिज हो चुका है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टान्त, कुछ फोटोज व अखबार की कटिंग प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन नहीं है एवं अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से अपूर्णनीय क्षति हो रही है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे ।

पत्रावली पर उपलब्ध जवाब प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण, दस्तावेजात का अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। वादगत रकबे से संबंधित दो बैयनामा हो रखे हैं एवं पत्रावली पर प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट की छायाप्रति में कब्जा प्रार्थीगण का दिखाया गया है जबकि रिकॉर्ड में वादगत भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं है और अप्रार्थी अधिवक्ता ने भी कब्जा साबित करने के पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं इसप्रकार कब्जे को लेकर भी विवाद है इसलिए मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति नहीं होने की स्थिति में पक्षकारों में ओर अधिक वाद-विवाद की स्थिति होना पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत हो रहा है। वादगत भूमि के संबंध में हक अधिकार का निर्धारण मैरिट पर सुना जाकर तय होना है और मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले व पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियों का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 13 डीडब्ल्यूडी मु0नं0 30/38 के किला नं0 1 ता 25 की तादादी 25.00 बीघा व मु0नं0 30/30 के किला नं0 17, 18, 22 की 03.00 बीघा इसप्रकार कुल तादादी 28.00 बीघा क0/अ0क0 भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक वादगत भूमि में मौका-रिकॉर्ड यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

